IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व एवं सशक्तिकरण : एक अध्ययन

डॉ. नीति मिश्रा
जनता महाविद्यालय, रीवा, म.प्र.

शोध सारांश –

पंचायत राज संस्थानों को ग्रामीण विकास की सभी समस्याओं के समाधान के रूप मे देखा जाता है और यह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। प्रस्तुत अध्ययन विकेंद्रीकरण प्रक्रिया और भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में पंचायती राजसंस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर एक विषयगत समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिसमें पंचायत कामकाज स्व–निर्णय लेने की क्षमता, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, परिवर्तनों के बारे में प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता के स्तर को शामिल किया गया है। उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति और उनकी राजनीतिक भागीदारी में कमजोर वर्गों के सदस्यों सहित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सकारात्मक कार्रवाई के कारण काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला नेता कम भ्रष्ट हैं, प्रभावी मूल्य पर समान गुणवत्ता के अधिक सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और समग्र शासन में सुधार के लिए महिलाओं की प्राथमिकताओं पर विचार करती हैं।

इसके विपरीत, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि महिला प्रतिनिधि अशिक्षित है विशेषकर ग्राम विकास कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने में वे पतियों और पुरुष अधिकारियो ं पर निर्भर रहती हैं। समीक्षा से पता चलता है कि पितृसत्तात्मक और जाति– ग्रस्त समाज में महिलाओं के लिए राजनीतिक यात्रा आसान नहीं है, जिसके कारण ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रतिनिधियों के प्रभुत्व के कारण महिला प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर काम करने में सहज नहीं हैं और उन्हें पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में अपनी क्षमता साबित करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा, यह पाया गया कि पुरुष प्रतिनिधि राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक समय बिताते हैं, जबकि महिलाएं घरेलू कामकाज में अधिक समय बिताती हैं। कुल मिलाकर 73वें संशोधन के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई ने महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्तिकरण की भावना दी है, हालांकि उन्हें अभी भी संतुलन स्तर तक पहुंचना बाकी है। जैसा कि कई शोधकर्ताओं ने माना है, अगले दशक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति, नेतृत्व भूमिका, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर और राजनीतिक जागरूकता और उपलब्धि में और प्रगति करने के लिए बाध्य हैं।

मुख्य शब्द :– पंचायती राज, महिला,सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण आदि।

परिचय :–

"महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। "देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओ ं को सशक्त बनाना होगा।" एक बार जब महिला कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है"। – स्वामी विवेकानंद पंचायती राज संस्थाएं

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। यह मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। केन्द्र तथा राज्य शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर की लोकतान्त्रिक मान्यतायें शक्तिशाली न हो। लोकतंत्रीय राजनीति व्यवस्था मे ं पंचायती राज ही को सामान्य जन के वह माध्यम है जो शासन दरवाजे तक लाता है। इस व्यवस्था में लोग विकास कार्यों के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय पद्धति के द्वारा आसानी से करने का प्रयास करते है। इससे पंचायती राज संस्थाओ ं से जुड़े जनप्रतिनिधियो ं के विकास कार्यों के संचालन का स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण स्वतः प्राप्त होता है। ये स्थानिय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में विधानसभा एवम् संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते है। अतः पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को विकसित कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोकतंत्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है, जबकि पंचायत राज संस्थान इस प्रक्रिया मे ं समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की गारंटी देता है। अधिक लैंगिक समानता किसी भी लोकतंत्र में महिलाओं की सफल भागीदारी की कुंजी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों में भारत में महिलाओं की स्थिति में कई बदलाव आये हैं। जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तो महात्मा गांधी ने कहारू 'जब तक भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेतीं, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकताय विकेंद्रीकरण का सपना कभी पूरा नहीं हो सका मेरे लिए उस तरह का स्वराज किसी काम का नहीं, जिसमें ऐसी महिलाओं ने अपना पूरा योगदान न दिया हों। लैंगिक असमानता एक प्रमुख चिंता का विषय है और भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन्हें सही अर्थों में सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई हस्तक्षेप कार्यक्रमों में लगी हुई है।

महिला सशक्तिकरण समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया है जिससे उन्हें सम्मानजनक और सम्मानित जीवन मिलता है। महिला सशक्तिकरण प्रमोटरो ं द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से महिलाओ ं को सशक्त बनाना है ताकि राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 73वां संवैधानिक संशोधन मुख्यतः दो कारणों से एक मील का पत्थर है इसने स्थानीय सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की और इसने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। यह महिलाओं के लिए पंचायत सीटों में 33 प्रतिशत (कुल संख्या का एक तिहाई) आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें भी प्रदान करता है। पंचायतों के अध्यक्षों के पदों का समान अनुपात (एक तिहाई) महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वर्तमान में पीआरआई स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 50: निर्धारित है।

अध्ययन का उद्देश्य :– पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिये किये गये सरकारी प्रयासों का अवलोकन करना और इससे संबंधित अन्य कार्यक्रम आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत करना प्रमुख उद्देश्य है।

तथ्यों का संकलन :– तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक श्रोतों का सहयोग लिया है। विभिन्न शोध पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं आदि के महत्वपूर्ण तथ्यों का भी किया गया है।

पंचायती संस्थाए ंलोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतन्त्राता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। स्थानीय संस्थायें सरकार के दूसरे

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

अंगों से बढ़कर को लोकतंत्रता की सुरक्षा देती है। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व–निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते अच्छी शासन–व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधरों की निरन्तरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं। पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबन्धन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक उद्देश्य है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत मे ं उदारवादी लोकतन्त्र अपनाया। भारतीय लोकतन्त्र पूर्णतः ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, किन्तु इसमें कुछ भारतीय मूल्यों का भी समावेश किया गया है। प्राचीन काल में जिस पंचायती राज की व्यवस्था का विकास हुआ था, उसका स्वरूप राजनीतिक कम, सामाजिक अधिक था। ग्राम पंचायतें गाँवों के सम्पूर्ण जीवन को दिशा देती थीं तथा भारतीय ग्रामीण जीवन स्वावलम्बी था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने गाँवों में पंचायतों को पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित करने की संविधान में व्यवस्था की।

संविधान में एक निर्देश समाविष्ट किया गया, "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो इस अनुच्छेद का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्यों की निर्देशित करना हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य को स्थानीय परिषद के स्तर पर लोकतंत्रता की स्थापना की सलाह दी एवं यह संप्रीक्षित किया कि "हम भारत के लोग" शब्द मात्रा एक संवैधानिक मंत्र ही नहीं है, वरन् इसका तात्पर्य पंचायत स्तर से प्रारम्भ होकर उपरी स्तर तक के उन लोगों से है जो "भारत की शक्ति के धारक है" आरम्भ में गाँवों एवं नगरों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में इन संस्थाओं की सक्रिय भूमिका रही, लेकिन कालांतर में ये संस्थायें निष्क्रिय होती चली गईं एक समय ऐसा आया कि ये संस्थायें मृत प्रायः सी हो गईं एक तरफ लंबे समय तक इन संस्थाओ ं के चुनाव नहीं हुए तो दूसरी तरफ महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया इसका मुख्य कारण राज्यों में छिन्न–भिन्न कानून होना और उन पर केन्द्र का नियन्त्रण न होना रहां संविधान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का नीति–निर्देशक तत्व सुनिश्चित होते हुए भी ये संस्थायें उपेक्षित सी रहीं अतएव इन्हें संवैधनिक दर्जा देने की आवश्यकता अनुभव की गई इसके लिए सन् 1989 में 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया पर वह पारित नहीं हो सकां अंततः संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधनिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य एवं भारतीय सन्दर्भ में इसके विकास के संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ पंचायती राज में की भूमिका के विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान हैं विश्व आज परिवर्तनों की ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जहाँ उसे चयन और चुनौतियों की व्यूह रचना का सामना करना पड़ रहा हैं विश्व को आज मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों की प्रकार के परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा हैं मात्रात्मक परिवर्तनों का सम्बन्ध आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ है, जबकि गुणात्मक परिवर्तनों का सम्बन्ध भिन्न मूल्यों और लोकाचार से अनुशासित नये समाज के प्रतिमान के साथ है, जहाँ मनुष्य 'परभक्षी', प्रदूषक और उपभोक्ता की बजाय 'संरक्षक तथा उत्पादक' की भूमिका का निर्वाह करें इन परिस्थितियों में, महिलाओं से इस शताब्दी के अन्तिम दौर में एक विशेष प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जा रही हैं महिलाओं के बारे में अध्ययनों और आंदोलनों का केन्द्र बिन्दु अब मानव हित में 'नारी–मुक्ति' से हट कर 'महिलाओं को अधिकार' देने पर केंद्रित हो गया हैं। विकास और आधुनिकीकरण के साथ–साथ लिंग समानता की अवधरणा को सामाजिक

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

परिवर्तन का सर्वप्रमुख मुद्दा माना जा रहा हैं महिलाओं को न केवल आर्थिक विकास में समान भागीदारी बनाने पर बल दिया जा रहा है, अपितु इन्हें प्रत्येक मोर्चे पर 'समान' समझने की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं इसके साथ–साथ महिलाओं की पुरूषों के समान राजनीतिक सहभागिता का प्रश्न भी विश्व की आधुनिक सभ्यता का सर्वप्रिय चर्चित विषय हैं।

भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रैल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आये। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 (5) के अन्तर्गत महिलाओ ं की सदस्यता और अनुच्छेद 243(द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका :– शुरू से ही कई भारतीय गांवों की रीढ़ रही है। महात्मा गांधी हमेशा पंचायत राज के समर्थन में थे और उनका सपना 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ साकार हुआ, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है । यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित महिलाओं को कुल एक तिहाई सीटें प्रदान करता है। इसने के कुल पदों में से एक–तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। पंचायत में महिलाओं की भूमिका इस प्रकार है–

- चुनाव में भागीदारी
- ग्रामीण विकास में भागीदारी
- निर्णय लेने में भागीदारी
- सामाजिक क्रांति एजेंट
- भ्रष्टाचार कम करना दलितों के खिलाफ हिंसा में कमी

निष्कर्ष –

इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि महिलाओं के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है या नहीं। राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है जिससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अध्ययन ने महिला सशक्तीकरण पर लिंग कोटा के कई प्रभावों पर एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित किया और उन कारकों का पता लगाया जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश और भागीदारी को सुविधाजनक और प्रतिबंधित करते हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर लिंग कोटा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नौ अवधारणाएँ तैयार की गईं जिनमें शामिल थींरू राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक रुचि, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक संपर्क, राजनीतिक विरोध, लिंग भूमिका रवैया, सार्वजनिक परियोजनाएँ और आत्मविश्वास। वर्तमान अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि लिंग कोटा का महिलाओं के राजनीतिक ज्ञान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्यो ंकि अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो ं को राजनीतिक गतिविधियों और पंचायत कार्यों के बारे में अच्छी जानकारी होती है और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, December 2024

राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं राजनीतिक कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक ज्ञान के साथ – साथ महिलाओं की राजनीति में रुचि भी बढ़ी है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस अर्थ में आरक्षण का सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं के आत्मविश्वास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है जो न केवल राजनीति के लिए बल्कि महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस प्रणाली ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक दृश्यमान हो गई हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने का आत्मविश्वास प्राप्त किया है। महिला आरक्षण प्रणाली भी शराबबंदी, दहेज विवाद, तलाक और लड़कियों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विरोध करने में महिलाओं के लिए सहायक रही है।

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने एवं महिलाओं के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग एवं भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन क्षेत्र को बनाने हेतु दिये गये इन सुझावों के माध्यम से पंचायती राज की मौलिक सोच व विकेन्द्रीकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हेतु एक तिहाई आरक्षण संबंधित प्रावधान उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के साथ ही उनके साथ समुचित न्याय करता है। अतः प्रस्तावित शोध के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये है यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाये तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आयेगें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जैन, प्रकाश (1993), "पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व" कुरुक्षेत्र नवम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नइ दिल्ली।
2. 2. सिंह, अशोक कुमार (1994), "ग्रामीण क्षेत्रो ं मे ं महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम", योजना, नई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997), "भारत का संविधान", ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ।
4. कुंवर, नीलिमा मिश्रा, स्वेता (1997), "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता" कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली।
5. एवं कनोजिया, सीमा (1988) "पंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका" कुरुक्षेत्र, सितम्बर, प्रकाशन विभाग,
6. भारत सरकार, नई दिल्ली। पॉंडा, स्नेहलता (1998) "पंचायतों में महिलाओं की भूमिका", योजना, अक्तूबर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. यतीन्द्र सिंह "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और महिलाओ ं का सशक्तिकरण", कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। शरण, श्रीवल्लभ (1998), "पंचायतों में महिलाएँ जरूरत है सक्रिय भूमिका की", कुरुक्षेत्र अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारतसरकार नई दिल्ली।
8. कौर, सिमरन (1999) "ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता", कुरुक्षेत्र दिसम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. चोपड़ा डॉ सरोज (2000) "स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
10. सिंह, वी.एन. (2000), "ग्रामीण समाजशास्त्र" विवेक प्रकाशन, दिल्ली।